दो पति-पत्नी जो दावा कर सकते हैं। साथ ही, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान किसी बच्चे के भरण-पोषण के लिए दावा किया जा सकता है और न्यायालय अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी कार्यवाही में ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। अधिनियम, समय-समय पर, जहां भी संभव हो, नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में उनकी इच्छाओं के अनुरूप उचित और उचित लगता है।"

डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर, नाबालिग बेटी अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन में भरण-पोषण की हकदार थी। मैं उक्त निर्णय से बंधा हुआ हूं और इसलिए, नाबालिग बच्चे को कोई भरण-पोषण न देकर विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ काम किया। नतीजतन, यह निर्देशित किया जाता है कि पत्नी द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण का दावा करने के लिए धारा 24 के तहत दायर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए और आवेदन की तारीख से आवश्यक भरण-पोषण प्रदान किया जाए। सिविल पुनरीक्षण का तदनुसार निपटारा किया जाता है। पत्नी भी इस याचिका की लागत की हकदार होगी जो कि 500 रुपये है ।

पहले: ए.एल. बहरी, 3.

राम चंदर और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 10069।

19 जुलाई 1989.

भारत का संविधान, 1950-कला. 14 और 226-पेंशन और ग्रेच्युटी-पात्रता-सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले जिला परिषद और डी 1 जिला बोर्ड के साथ सेवा की अवधि-चाहे पेंशन आदि के लिए गणनीय हो। सरकार पहले के मामलों में समान लाभ की अनुमति देती है-भेदभाव-प्रांतीयकृत सेवा में बिताई गई अवधि पेंशन लाभ में गिना जा सकता है।

माना गया कि जब राज्य सरकार ने हजारी लाल को प्रांतीयकृत सेवा का लाभ दिया, तो यह भेदभाव होगा यदि याचिकाकर्ताओं को ऐसा लाभ नहीं दिया गया, जिन्होंने 1966 से पहले जिला परिषदों/जिला बोर्डों में सेवा प्रदान की थी। उत्तरदाताओं का याचिकाकर्ताओं को समान राहत देने से इनकार करना, क्योंकि उन्होंने अदालत से संपर्क नहीं किया है, यह समझ में नहीं आता है। राज्य को अपने कर्मचारियों को राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जिसे राज्य आसानी से अपने दम पर दे सकता है, खासकर तब, जब समान परिस्थितियों में राज्य ने अपने एक कर्मचारी को राहत की अनुमति दी थी। इसलिए राज्य को पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ देने के मामले में 1966 से पहले जिला परिषद/जिला बोर्ड के साथ प्रदान की गई सेवा की पूरी अवधि को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 2, 3, 4).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

(i) उन्होंने उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना देने से इनकार कर दिया;

(ii) कृपया अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दे दी जाए;

(iii) उन्होंने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रिट याचिका की लागत का फैसला सुनाया।

(iv) उन्होंने रिट याचिका स्वीकार कर ली, और याचिकाकर्ताओं को 1 नवंबर, 1966 से पहले तत्कालीन जिला बोर्डों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों में प्रदान की गई उनकी कुल सेवा की गणना करके पेंशन लाभ, यानी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि प्रदान किए जाएं; कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, उसने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किया।

याचिकाकर्ताओं के लिए जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी.एस. ढींडसा, अधिवक्ता के साथ।

रामेश्वर मलिक, वकील, ए.जी. (हरियाणा) के लिए

<u>फैसला</u>

ए.एल. बहरी, जे. (मौखिक)

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका में विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले जिला परिषदों/जिला बोर्डों के साथ प्रदान की गई सेवा को लाभ देने के लिए गिना जाना चाहिए। पेंशन और ग्रेच्युटी का विवरण याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा का विवरण रिट याचिका के पैरा 3 में दिया गया है। इस पैराग्राफ में उन तारीखों का भी उल्लेख किया गया है जिस दिन वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए। सरकार ने 1 नवंबर, 1966 से इस तरह का लाभ देने के लिए अनुबंध पी-1 के तहत एक नीतिगत निर्णय लिया, इस शर्त के साथ कि कर्मचारी अपने भविष्य निधि के लिए पूर्ववर्ती जिला परिषदों और पंचायत समितियों द्वारा किए गए योगदान को पूरा जमा करेंगे। 1 नवंबर, 1966 से या उस तारीख से जब वे भविष्य निधि के सदस्य बन गए, उस पर ब्याज सहित। एक हजारी लाई ने 1986 की रिट याचिका संख्या 3995 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर 14 जनवरी 1987 को निर्णय दिया गया था। राज्य सरकार को तीन महीने की अवधि के भीतर उनके मामले का

फैसला करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने 1966 से पहले की उनकी पूरी सेवा का लाभ दिया और पेंशन तथा ग्रेच्युटी जारी कर दी।

याचिकाकर्ताओं ने इसी तरह की राहत के लिए आईस्टेट सरकार से संपर्क किया। उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, आदेश प्रति अनुलग्नक पी-4 के माध्यम से इस आधार पर कि लाभ उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने कानून की अदालत से संपर्क किया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(2) महालेखाकार, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार ने हजारी लाई को लाभ की अनुमति दी थी, इसलिए उन्हें प्रांतीयकृत सेवा अवधि का लाभ दिया गया था। हरियाणा राज्य की ओर से कोई अलग से लिखित-बयान दाखिल नहीं किया गया है।

(3) यदि 1966 से पहले जिला परिषदों/जिला बोर्डों में सेवा प्रदान करने वाले वर्तमान याचिकाकर्ताओं को ऐसा लाभ नहीं दिया गया तो यह भेदभाव होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने हजारी लाई को ऐसी सेवा का लाभ देने की अनुमति दी है, जिन्होंने इसके लिए संपर्क किया था। रिट याचिका में कोर्ट से दिशा-निर्देश मांगे गए। अनुलग्नक पी-4 में उत्तरदाताओं का रुख याचिकाकर्ताओं को समान राहत देने से इनकार कर रहा है क्योंकि उन्होंने अदालत से संपर्क नहीं किया है, यह समझ में नहीं आता है। उन्हें अपने कर्मचारियों को राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जिसे राज्य आसानी से अपने आप दे सकता है, खासकर तब जब राज्य ने समान परिस्थितियों में अपने एक कर्मचारी को राहत दी थी।

(4) ऊपर दर्ज कारणों से, इस रिट याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाता है। परामर्श शुल्क रु. 500. हरियाणा राज्य को याचिकाकर्ताओं के मामले को तीन महीने के भीतर तय

करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 1966 से पहले जिला परिषदों/जिला बोर्डों के साथ प्रदान की गई सेवा की पूरी अवधि को ध्यान में रखते हुए राहत देने का निर्देश दिया गया है। पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ उन्हीं नियमों और शर्तों पर देने का, जिन पर हजारी लाई को समान लाभ दिए गए थे।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा